

410

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.

/ 2017 निगरानी

R-486-I-17

श्री. मुकेश सागर
द्वारा आज दि 3-2-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3.2.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश सागर
03-2-17 एडवोकेट
ग्वालियर

1. श्रीमती प्रियंका पत्नी प्रथम सिंह ठाकुर
 2. श्रीमती रश्मि पत्नी लक्ष्मण सिंह ठाकुर
- दोनों निवासीगण ग्राम अचलपुर तहसील
रहली जिला - सागर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. अवधेश पुत्र गंधर्व सिंह ठाकुर
 2. बलवीर पुत्र गंधर्व सिंह ठाकुर
- दोनों निवासीगण ग्राम ईगुआखेडा तहसील
रहली जिला सागर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविमगीय अधिकारी रहली जिला-सागर
द्वारा रा. अपील प्र.कं. 13अ/6 वर्ष 2014-15 में पारित
आदेश दिनांक 16.1.2017 के विरुद्ध म.प्र. मू. राजस्व
संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।
- 2- यहकि, वादग्रस्त भूमि ख.नं. 5 में से 1/4 अर्थात 0.88 है० भाग के अभिलिखित भूमिस्वामी इन्द्रपाल व मुन्नीबाई थे। उक्त भूमिस्वामियों से दिनांक 01.10.14 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आवेदकगण ने कय कर कब्जा प्राप्त

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-486-एक/2017

जिला-सागर

श्रीमती प्रियंका व अन्य विरुद्ध अवधेश व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रहली, जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक 13/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 16-01-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 13-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

(आर0क0 जे0)
सदस्य 18/3/19